

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 21 फरवरी, 2014


विषय: राज्य के सेवारत पशुचिकित्साविदों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0) अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में सेवारत नियमित पशुचिकित्साविदों को, उन्हें अनुमन्य मूलवेतन (निर्धारित वेतन + ग्रेड वेतन) के योग का 25 प्रतिशत की दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0) इस प्रतिबन्ध के साथ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि मूल वेतन, ग्रेड वेतन एवं नॉन प्रैक्टिस भत्ता का कुल योग ₹ 80,000/- प्रतिमाह से अधिक न हो।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-42/XXVII(7)/2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से प्रदान किया जा रहा है।

भवदीय,


(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या: 186 (1) / XV-1/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री जी।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. संबंधित व्यय-नियंत्रण अनुभाग/वित्त अनुभाग-7
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
अन सचिव।

श्री 10
R